जगदीश कुमार और अन्य।

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य।

11 नवंबर, 2005

[अरिजीत पसाया टी और सी.के. ठक्कर, जेजे.]

हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी अधीनस्थ सेवा वर्ग 3 प्रारूपकार और अनुरेखक भर्ती और पदोन्नति नियम 1961-नियम 6 और 14-शैक्षिक और तकनीकी योग्यता से सम्बंधित नियम-नियुक्ति के समय प्रत्यर्थियों के पास योग्यता-1973 में सरकारी आदेश द्वारा नियम में छूट-वर्ष 1974-76 में शर्तों में छूट के कारण अपीलकर्ताओं को अनुरेखक(ट्रेसर) के रूप में नियुक्त किया गया - उनके नाम 1977 में वरिष्ठता सूची में शामिल किए गए - 1980 में आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी से वरिष्ठ स्थान दिया गया और सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में पदोन्नत किया गया - प्रत्यर्थी की अपीलकर्ताओं की नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति को चुनौती- अधिकरण ने पदोन्नति को अवैध माना और वरिष्ठता सूची से उनके नाम हटाने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पदोन्नति के लिए पात्र माना, लेकिन विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तारीख से उनकी पारस्परिक वरिष्ठता की गणना करने का निर्देश दिया -अपील को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता सूची में रखे जाने का अधिकार दिया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 41 नियम 22-उच्चतम न्यायालय-प्रक्रिया-विवाद्यक जो प्रत्यर्थी उठा सकता है-प्रत्यर्थी का अपने खिलाफ पाए गए आधार के विरुद्ध

अपील किए बिना उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करने का अधिकार-माना गया, प्रत्यर्थी उनके प्रतिकूल दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठा सकते हैं, भले ही उन्होंने इस संबंध में अपील दायर नहीं की है-सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बाधित नहीं होती।

अपीलकर्ताओं को नियमों में ढील दी गई शर्तों के तहत वर्ष 1974-76 के दौरान अनुरेखक (ट्रेसर) प्रारूपकार के रूप में भर्ती किया गया था। वे 1980 में आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1977 के बाद नियुक्त प्रत्यर्थी अपेक्षित योग्यता रखते थे। 1980 में प्रसारित वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थियों से वरिष्ठ स्थान दिया गया था और उन्हें सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ताओं की अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्ति, वरिष्ठता सूची में उनके उच्च स्थान और पदोन्नति को चुनौती दी। अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने माना कि अपीलकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे और वरिष्ठता सूची से उनके नाम हटाने का निर्देश दिया। एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि अपीलकर्ता नियमित पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को उस तारीख से गिना जाना चाहिए, जिस तारीख को वे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया था कि यह मानने के बाद कि अपीलकर्ता ड्राफ्ट्समैन (प्रारूपकार) के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य और पात्र थे, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विधि द्वारा असमर्थनीय है और प्रत्यर्थियों के उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठाने के कारण, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा के निर्णय के अनुसार पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाने से विबन्धित किया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. सहायक प्रारूपकार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, आवश्यकताओं को नियम 6 (ii) में दर्शाया गया है। एक बार जब अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) कोर्स के डिप्लोमा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को नियम 6 (i) के संदर्भ में छूट दी जाती है, तो सहायक प्रारूपकार के रूप में विचार किए जाने के लिए फिर से छूट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ट्रेसर के रूप में नियुक्ति के लिए छूट दी जाती है तो उस आकस्मिकता का पहले से ही ध्यान रखा जाता है। अन्यथा, जो व्यक्ति ट्रेसर के रूप में नियुक्त होने के योग्य पाया गया है, उसे सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही ट्रेसर के रूप में नियुक्ति से जुड़ी कोई अवैधता न हो। ऐसा दृष्टिकोण ट्रेसर के रूप में नियुक्ति के लिए छूट के तर्क के विरुद्ध होगा। [215-बी-सी]

1.2. नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से ही प्रभावी होती है और परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन यह, यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि परीक्षा उत्तीर्ण होने तक कानून की नजर में कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। सरकार ने भी इस स्थिति को मान्यता दी, जैसा कि 14.10.1977 को वरिष्ठता सूची की घोषणा से स्पष्ट है, जिसमें अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया था, हालांकि उन्होंने उस समय तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी क्योंकि कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। कानून की नजर में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से होती थी, जो निश्चित रूप से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से जुड़ी थी। अपीलकर्ता अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता सूची में रखे जाने के हकदार हैं, न कि उस तारीख से जिस दिन उन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी। [215-डी-ई; 216-बी]

2. प्रत्यर्थियों का यह रुख कि भले ही उन्होंने अपील दायर नहीं की है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर उनके प्रतिकूल दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठा सकते हैं, को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रमनभाई के मामले और श्री थेपफुलो के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि "उचित मामलों" में यह न्यायालय गैर-अपीलीय पक्ष को उन आधारों पर भी आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने की अनुमति दे सकता है जो उस निर्णय द्वारा ख़ारिज कर दिए गए थे। न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उसके समक्ष मामले में गैर-अपीलीय पक्ष को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऊपर उजागर की गई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, हम मानते हैं कि यह ऐसा मामला है जहां प्रत्यर्थियों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम दाभी अजितकुमार फुलसिंजी और अन्य, [1965] 1 एससीआर 712; नॉर्दर्न रेलवे को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्रबंधन बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर और अन्य, [1967] 2 एससीआर 476; श्री थेपफुलो नख्र अंगानी बनाम श्रीमती रावलुई उर्फ रानो एम शाइज़ा, (1971) 1 एससीसी 431 और जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1998] 3 एससीसी 540; पर भरोसा किया गया।

वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्र एआईआर (1954) एससी 513; बारू राम बनाम प्रसन्नी एआईआर (1959) एससी 93 और रमनभाई आशाभाई बनाम दाभी अजीतकुमार फुलसिंजी, एआईआर (1965) एससी 669, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2708/2002

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी. 1998 की संख्या 178 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.5.2000 से।

के साथ

2002 की सी.ए. संख्या 2709 के साथ।

जीतेन्द्र शर्मा एवं सुनील गुप्ता, पी.एन. झा, सुश्री मिनाक्षी विज, अनिल नाग, वरिंदर कुमार शर्मा, अमित कुमार, राजीव कुमार बंसल, विवेक विश्नोई, बी.के. पाल, जे.एस. अत्री और सुश्री शिवानी ठाकुर उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायात, जे. द्वारा सुनाया गया।

इन अपीलों में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हालांकि अपीलकर्ता सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में नियमित पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन उनकी परस्पर वरिष्ठता को उस तिथि से प्रभावी माना जाएगा, जब वे विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के निर्णय को सही नहीं माना गया कि वे पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे। संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ताओं को 1974-76 की अवधि के दौरान अनुरेखक (ट्रेसर) प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में भर्ती किया गया था। प्रत्यर्थि संख्या 3 से 18 को 1976 से 1980 की अवधि के दौरान ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया था। अनुरेखक (ट्रेसर) की नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम हिमाचल प्रदेश पी.डब्ल्यू.डी. अधीनस्थ सेवा वर्ग III प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) और ट्रेसर भर्ती और पदोन्नति नियम, 1961 (संक्षेप में 'नियम') के अंतर्गत आते हैं। अनुरेखक (ट्रेसर), प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता नियमों के नियम 6 के तहत प्रदान की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 से 18 के पास प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) कोर्स में

डिप्लोमा की योग्यता थी। नियम 6 (i) के अनुसार ट्रेसर के पद के लिए अपेक्षित योग्यता यह थी कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) कोर्स या प्लान प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए, चार साल का अनुभव के साथ। सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के पद के लिए मैट्रिकुलेशन की अपेक्षित योग्यता के साथ-साथ न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) कोर्स का डिप्लोमा अपेक्षित था। नियम 6 से पांच पादलेख संलग्न हैं और पादलेख संख्या 5,जो वर्तमान विवाद में महत्व रखता है, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की सरकार की शक्ति से संबंधित है,यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श पर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है। दिनांक 31.10.1973 के आदेश द्वारा सरकार ने नियम 6 में छूट दे दी, जहां तक यह ट्रेसर्स ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति से संबंधित था। प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) पाठ्यक्रम के स्थान पर, एक वर्ष की या ऐसी अवधि की सेवा के बाद, जो मुख्य अभियंता उम्मीदवार के कार्य का आकलन करने के बाद तय कर सकता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (संक्षेप में 'आईटीआई') से तीन महीने के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया। ढील दी हुई शर्तों के तहत अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया। 14.10.1977 को एक वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी, जिसमें 31.10.1975 की स्थिति दर्शाई गई थी। अपीलकर्ताओं के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किए गए थे। उस समय तक प्रत्यर्थि सं. 3 से 18 की नियुक्ति नहीं हुई थी। 19.2.1980 को मुख्य अभियंता ने अयोग्य ट्रेसर्स ड्राफ्ट्समैन के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान इस आधार पर किया कि आईटीआई ने प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया था। इसलिए, एक विभागीय परीक्षा का प्रावधान किया और इसे आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण के लिए

प्रतिस्थापित किया गया। अपीलकर्ता ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए और 1980 में उत्तीर्ण हुए। 2.6.1980 को प्रसारित वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 से 18 से वरिष्ठ स्थान दिया गया था। 19.8.1980 को अपीलकर्ताओं को सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थि संख्या 3 से 18 द्वारा अपीलकर्ताओं की ट्रेसर्स ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्तियों, उनके ऊपर वरिष्ठता सूची में स्थान और सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर की गईं। अधिकरण के गठन पर, रिट याचिकाएँ इसके निपटान के लिए स्थानांतरित कर दी गईं। 5.9.1981 को सहायक ड्राफ्ट्समैन के पदों से संबंधित नियम 6 (ii) में संशोधन किया गया और ड्राफ्ट्समैन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा की योग्यता को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:

> "6(ii) सहायक ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन पाठ्यक्रम का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो और न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव हो; बशर्ते कि एचपीपीडब्ल्यूडी में काम करने वाले अयोग्य ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और विभाग में शामिल होने की तारीख से विभाग में 5 साल की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद अयोग्य टीओएम के रूप में एडीएम के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ऐसे पदोन्नत लोगों को आगे पदोन्नति के लिए योग्य एडीएम माना जाएगा।"

अपीलकर्ताओं को 2.1.1981 को संशोधित नियम 6 (ii) के तहत सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के पदों पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया था। 14.7.1994 को प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदनों को अनुमति दी गई। अधिकरण ने

माना कि अपीलकर्ताओं की ट्रेसर प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में नियुक्ति अवैध थी क्योंकि वे न तो योग्य ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन थे और न ही योग्य सहायक ड्राफ्ट्समैन थे। हालाँकि, पदावनति को वांछनीय नहीं माना गया। इसने वरिष्ठता सूची दिनांक 2.6.1980 में उनके शामिल होने और 19.8.1980 को सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के उच्च पदों पर पदोन्नति को रद्द कर दिया। इसने निर्देश दिया कि प्रतिवादी को 18.8.1980 से सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति पर विचार किया जाए। अधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिसने आक्षेपित आदेश द्वारा ऊपर बताए अनुसार निर्देश और राहतें दीं।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानने के बाद कि अपीलकर्ता ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य और पात्र थे, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विधि द्वारा असमर्थनीय है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील 3 से 18 ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उन्होंने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं की है कि अपीलकर्ता ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त होने के पात्र थे, फिर भी वरिष्ठता सूची में नियुक्ति के संबंध में दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, उनकी पात्रता को चुनौती देते हैं। ट्रेसर्स ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्ति कानूनी रूप से स्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य अभियंता के पास अयोग्य ट्रेसर्स ड्राफ्ट्समैन के लिए विभागीय परीक्षा प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं थी। नियम 14 को शक्ति के स्रोत के रूप में खोजा जा सकता है। शक्ति का प्रयोग करना मुख्य अभियंता का काम है। लेकिन नियम 6 के अंतर्गत आने वाले मामले में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा,

सहायक ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति के लिए नियम 6(1) के संदर्भ में कोई छूट नहीं थी और इसलिए, पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाने से रोक दिया गया है। हम पहले इस प्रश्न से निपटेंगे कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई पक्ष उच्च न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पाए गए आधार पर फैसले का समर्थन कर सकता है। रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम डाभी अजितकुमार फुलसिंजी और अन्य, [1965] 1 एससीआर 712 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इसे इस प्रकार रखा गया था:

हम पहले इस प्रश्न से निपटेंगे कि क्या कोई पक्ष, उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ पाए गए आधार पर उस निर्णय का समर्थन कर सकता है। रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम डाभी अजितकुमार फुलसिंजी और अन्य, [1965] एससीआर 712 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इसे इस प्रकार रखा गया था:

> "इससे पहले श्री पटेल ने उच्च न्यायालय के दूसरे प्रत्यर्थि के नामांकन पत्र की वैधता से सम्बंधित निष्कर्ष का उल्लेख किया था. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एस.टी. देसाई ने इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि पहला प्रत्यर्थि निष्कर्ष की सत्यता को चुनौती देने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसने इसके लिए कोई अपील नहीं की थी। वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्र और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय के समर्थन में, वह भी एक चुनावी मामले से उत्पन्न एक अपील थी। प्रत्यर्थि के विद्वान वकील ने अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ जो आधार पाए गए थे, अधिकरण के निर्णय

का समर्थन करने का प्रयास किया था । इस न्यायालय ने उन्हें इस आधार पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा लाई गई अपीलों पर लागू नहीं होते हैं और देखा गया:

"हमारे समक्ष प्रत्यर्थियों की ओर से कोई अपील नहीं है और हम उस प्रश्न को फिर से उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हैं।"

श्री बारू राम बनाम श्रीमती प्रसन्नी और अन्य में अपीलकर्ता की ओर से उस निर्णय पर भरोसा किया गया था, श्री दोआबिया जो प्रत्यर्थियों के लिए वहां उपस्थित हुए थे, ने पहले के निर्णय की शुद्धता को चुनौती दी थी लेकिन इस न्यायालय ने कहा:

"प्रथम दृष्टया इस तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है; लेकिन हम वर्तमान अपील में इस बिंदु पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझते हैं। श्री अग्रवाल की आपत्ति मानती है कि प्रतिवादी को विचाराधीन मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एक याचिका दायर करनी चाहिए थी ; यदि ऐसा है, तो अतिरिक्त आधारों का आग्रह करने की अनुमति के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन को उक्त निष्कर्ष के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है।"

"जाहिर है कि डिविजन बेंच ने पहले वाली डिविजन बेंच का ही अनुसरण किया-क्योंकि उसने खुद को उससे बंधा हुआ मान लिया है।

सम्मान के साथ, हमें ऐसा लगता है कि पिछला निर्णय सही कानूनी स्थिति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्योंकि, जैसे ही विशेष अनुमति दी जाती है, इस न्यायालय के समक्ष एक अपील होती है और ऐसी अपील से निपटने के दौरान यह न्यायालय अपने नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा अपनी नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI, नियम 22 के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पक्ष को अपील किए गए निर्णय का, उस आधार पर जो उस निर्णय में उसके विरुद्ध पाया गया है, समर्थन करने की अनुमति देता है। इसके निकटतम प्रावधान वह है जो इस न्यायालय के नियमों में O. XVIII, नियम 3 में निहित है, जिसके अनुसार पक्षों को मामलों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है। उस नियम के उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि मामले के विवरण के भाग । में पार्टियों के तर्क और अपील में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के बिंदु भी निर्धारित होंगे। आगे प्रावधान है कि भाग ॥ में पक्षकार अपने तर्कों के समर्थन में आग्रह करने के लिए कानून के कथन व्यक्त करेंगे। इस नियम के प्रावधान को केवल तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है जो अपील किए गए निर्णय में उस पक्ष के पक्ष में पाए गए बिंदुओं से संबंधित हैं। इसके अलावा हमारा मानना है कि अपने समक्ष अपील से निपटते समय इस न्यायालय के पास उस निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है जिसके खिलाफ अपील की गई है और यहां तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 जैसे स्पष्ट

प्रावधान के अभाव में भी यह सुनवाई में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। कमी को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे सामान्य कानून के प्रावधानों का सहारा लेने और जो उपयुक्त हों, उनमें से ऐसे प्रावधानों को अपनाने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आम तौर पर जिस पक्ष के पक्ष में अपील का निर्णय दिया गया है, उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, न्याय के लिए यह आवश्यक है कि इस न्यायालय को उचित मामलों में ऐसी स्थिति में रखे गए पक्ष को अपने पक्ष में निर्णय का समर्थन करने की अनुमति देनी चाहिए, यहां तक कि उन आधारों पर भी जो उस निर्णय में नकारात्मक थे। इसलिए, हमारी राय है कि वशिष्ठ नारायण शर्मा के मामले में इस न्यायालय की शक्तियों के संबंध में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था और हम श्री एसटी देसाई की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर देते हैं।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव सोसाएटी लिमिटेड के प्रबंधन में इस पद को फिर से दोहराया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर और अन्य। [1967] 2 एससीआर 476।

श्री थेपफुलो नखर अंगानी बनाम श्रीमती रावलुई उर्फ रानो एम. शैज़ा, [1971] 1 एससीसी 431 इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

"3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एसवी गुप्ते ने उस निर्णय को दो आधारों पर अलग करने की कोशिश की, अर्थात्। (1) कि विचाराधीन

निर्णय विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में एक अपील में दिया गया था और इस प्रकार इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116 (ए) द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था, 1951 और (2) कि 1966 में संशोधन से पहले धारा 116(ए) के तहत अपील का दायरा वर्तमान के दायरे से अलग था। वर्तमान में दायरा। हम इन दोनों में से किसी भी तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। उपरोक्त निर्णयों में, यह निर्णय सुनाया गया था कि इस न्यायालय के पास उस निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है जिसके खिलाफ अपील की गई है और यहां तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 जैसे स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी यह सुनवाई में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। कमी को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे सामान्य कानून के प्रावधानों का सहारा लेने और जो उपयुक्त हों, उनमें से ऐसे प्रावधानों को अपनाने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। न्यायालय का निर्णय इस आधार पर निर्भर नहीं था कि उसके समक्ष अपील इस न्यायालय की विशेष अनुमति द्वारा लाई गई थी या धारा 116(ए) की उस समय की व्याख्या पर । इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम के पीछे के कारण रिपोर्ट के पृष्ठ 725 पर पाए जाते हैं। उसमें यह देखा जाता है:

यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा अपनी नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI, नियम 22 के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है जो

किसी पक्ष को अपील किए गए निर्णय का, उस आधार पर जो उस निर्णय में उसके विरुद्ध पाया गया है, समर्थन करने की अनुमति देता है। इसके निकटतम प्रावधान वह है जो इस न्यायालय के नियमों में O. XVIII, r 3 में निहित है, जिसके अनुसार पक्षों को मामलों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है। उस नियम के उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि मामले के विवरण के भाग । में पार्टियों के तर्क और अपील में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के बिंदु भी निर्धारित होंगे। आगे प्रावधान है कि भाग ॥ में पक्षकार अपने तर्कों के समर्थन में आग्रह करने के लिए कानून के कथन व्यक्त करेंगे। इस नियम के प्रावधान को केवल तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है जो अपील किए गए निर्णय में उस पक्ष के पक्ष में पाए गए बिंदुओं से संबंधित हैं। इसके अलावा हमारा मानना है कि अपने समक्ष अपील से निपटते समय इस न्यायालय के पास उस निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है जिसके खिलाफ अपील की गई है और यहां तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 जैसे स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी यह सुनवाई में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। कमी को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे सामान्य कानून के प्रावधानों का सहारा लेने और जो उपयुक्त हों, उनमें से ऐसे प्रावधानों को अपनाने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आम तौर पर जिस पक्ष के पक्ष में अपील का निर्णय दिया गया है, उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, न्याय के लिए यह आवश्यक है कि

इस न्यायालय को उचित मामलों में ऐसी स्थिति में रखे गए पक्ष को अपने पक्ष में निर्णय का समर्थन करने की अनुमति देनी चाहिए, यहां तक कि उन आधारों पर भी जो उस निर्णय में नकारात्मक थे।"

जे.के. में कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, [1998] 3 एससीसी 540 इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

"25. वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्रा, एआईआर (1954) एससी 513 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील में प्रत्यर्थि को उस आधार पर अपील में चुनौती दिए गए निर्णय का समर्थन करने की अनुमति नहीं दी जो उसके खिलाफ पाया गया था। न्यायालय ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील पर लागू नहीं होता।

26. उपरोक्त निर्णय को बारू राम बनाम प्रसन्नी, एआईआर (1959) एससी 93 के मामला में अन्य तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था, जहां इससे असहमति नहीं जताई गई थी। लेकिन रमनभाई आशाभाई बनाम डाभी अजीतकुमार फुलसिंजी, एआईआर (1965) एससी 669 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के आलोक में पहले उल्लिखित दो निर्णयों में अपनाया गया रुख अब प्रचलन में नहीं है। संविधान पीठ ने माना कि इस न्यायालय के पास आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है और यहां तक कि आदेश 41, नियम 22 सीपीसी जैसे स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में भी, यह न्यायालय सुनवाई में

अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। पीठ की टिप्पणियाँ जो अब प्रासंगिक हैं वे निम्नलिखित हैं:

"कमी को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे सामान्य कानून के प्रावधानों का सहारा लेने और जो उपयुक्त हों, उनमें से ऐसे प्रावधानों को अपनाने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आम तौर पर जिस पक्ष के पक्ष में अपील का निर्णय दिया गया है, उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, न्याय के लिए यह आवश्यक है कि इस न्यायालय को उचित मामलों में ऐसी स्थिति में रखे गए पक्ष को अपने पक्ष में निर्णय का समर्थन करने की अनुमति देनी चाहिए, यहां तक कि उन आधारों पर भी जो उस निर्णय में नकारात्मक थे। इसलिए, हमारी राय है कि वशिष्ठ नारायण शर्मा के मामले में इस न्यायालय की शक्तियों के संबंध में बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था..."।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

27. इसलिए, हम मानते हैं कि इस अपील में प्रत्यर्थियों को अंतिम परिणाम उनके पक्ष में होने के बावजूद आक्षेपित निर्णय में निहित निष्कर्ष को उलटने के लिए नहीं रोका जा सकता है।"

इसलिए, प्रतिवादी संख्या का 3 से 18 कि भले ही उन्होंने अपील दायर नहीं की है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर उनके प्रतिकूल दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठा सकते हैं, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रमनभाई के मामले (सुप्रा) और श्री थेपफुलो के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय द्वारा

यह माना गया था कि "उचित मामलों" में यह न्यायालय गैर-अपील करने वाली पार्टी को भी लागू फैसले का समर्थन करने की अनुमति दे सकता है। वे आधार जो उस निर्णय में नकार दिये गये थे। न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उसके समक्ष मामले में गैर-अपील करने वाले पक्ष को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऊपर हाइलाइट की गई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, हम इसे ऐसा मामला मानते हैं जहां प्रतिवादी संख्या। 3 से 18 तक को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित दो नियम 6 और 14 हैं। वे इस प्रकार हैं:

"6. उम्मीदवारों की शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं :-

किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति के मामले में: -

(i) ट्रेसर: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन कोर्स या चार साल के अनुभव के साथ प्लान प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ii) सहायक ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, और न्यूनतम तीन वर्ष अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन कोर्स का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) जूनियर आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन कोर्स का डिप्लोमा या आर्किटेक्चरल कोर्स का दूसरा वर्ष उत्तीर्ण किया हो।

(iv) डिविजनल हेड ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन कोर्स का डिप्लोमा किया हो और साथ ही न्यूनतम 6 साल का अनुभव हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो।

(v) वरिष्ठ वास्तुशिल्प ड्राफ्ट्समैन:

XXXX XXXX XXX

(vi) सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वर्ष के अनुभव के साथ ड्राफ्ट्समैन कोर्स का डिप्लोमा या तीन साल के अनुभव साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री हो।

(vii) मुख्य अभियंता कार्यालय में सर्कल ड्राफ्ट्समैन: उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वर्ष के अनुभव के साथ ड्राफ्ट्समैन कोर्स का डिप्लोमा या 5 साल के अनुभव साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री हो।

नोट: मुख्य अभियंता कार्यालय में वरिष्ठ वास्तुकला ड्राफ्ट्समैन, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन और सर्कल ड्राफ्ट्समैन के पदों के संबंध में नियम 6(v), 6(vi) और 6(vii) देखें।

1. सीधी भर्ती के मामले में आयु और योग्यता में उम्मीदवार के अन्यथा अच्छी तरह से योग्य होने की स्थिति में आयोग के विवेक पर छूट दी जाएगी।

2. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से की जाएगी।

3. हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, तौर-तरीकों और बोलियों का ज्ञान और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता वांछनीय योग्यता होगी।

4. सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि आयोग ऐसा आवश्यक या समीचीन समझता है, तो लिखित परीक्षा द्वारा, या एक व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर जिसका मानक पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश देकर किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

वांछनीय योग्यता:

उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, तौर-तरीकों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

14. परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना: सेवा के सदस्यों को सेवा में किसी भी वर्ग के पदों के लिए समय-समय पर मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा या प्रशिक्षण से गुजरना होगा।"

सरकार ने आदेश दिनांक 31.10.1973 द्वारा नियम 6 की आवश्यकता को शिथिल कर दिया, यह इस प्रकार है। :

"मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके दिनांक 29.5.1973 के पत्र PWE-125-1/71-(RR)/ESI-12206 का संदर्भ लेने और एचपी पीडब्ल्यूडी अधीनस्थ सेवा वर्ग 3 ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर, भर्ती और पदोन्नति नियम, 196,1 में निर्धारित ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए योग्यता की शर्तों में छूट के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर, भर्ती और पदोन्नति नियम, 1961 के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिक परीक्षा या ड्राइंग के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन के पद पर भर्ती किया जा सकता है।। ऐसे उम्मीदवारों को एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए या ऐसे उम्मीदवारों के काम का आकलन करने के बाद मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि के बाद किसी एक आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। हालाँकि, यह छूट राज्य में प्रशिक्षित हाथों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में दी गई है।

आपका विश्वासी,

एसडी/- (बी.डी. शौनक)

अंडर सचिव (पीडब्ल्यू)

हिमाचल सरकार का"

मुख्य अभियंता ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 19.2.1980 द्वारा निम्नानुसार नोट किया:

"हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1- 159/71-PWD-A के माध्यम से सूचित किए गए अनुमोदन से इस विभाग में ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन के कुछ पद अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गए थे, जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ मैट्रिक पास किया था।

अब इस विभाग में कार्यरत ऐसे अयोग्य ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन के लिए दिनांक 14.4.1980 को विभागीय परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त परीक्षा में दो पेपर होंगे; एक भवन एवं सड़क आदि के निर्माण के विषय पर और दूसरा दूसरा अनुमान लगाने आदि के लिए। पाठ्यक्रम संलग्नक के अनुसार होगा और इसका व्यापक प्रसार किया जा सकता है।

एसडी/-

(आई.डी. मीरचंदानी)

मुख्य अभियन्ता,

हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला-I"

पत्र दिनांक 31.1.1973 और कार्यालय आदेश दिनांक 19.2.1980 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि उत्तरार्द्ध वास्तव में नियम 14 से संबंधित नहीं है। इसके विपरीत, यह सरकार के पहले पत्र की निरंतरता में है। ऐसा होने पर, विभागीय परीक्षा के लिए प्रावधान करने की मुख्य अभियंता की शक्ति को प्रत्यर्थि संख्या 2 से 18 तक की चुनौती निराधार है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में पदोन्नति देते समय कोई छूट आवश्यक थी। सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, आवश्यकताओं को नियम 6 (ii) में दर्शाया गया है। एक बार जब ट्रेसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) कोर्स के डिप्लोमा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को नियम 6 (i) के संदर्भ में छूट दी जाती है, तो सहायक प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के रूप में विचार किए जाने के लिए फिर से छूट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्ति के लिए छूट दी जाती है तो उस आकस्मिकता का पहले से ही ध्यान रखा जाता है। अन्यथा, जो व्यक्ति अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्त होने के योग्य पाया गया है, उसे सहायक प्रारूपकार के रूप में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्ति से जुड़ी कोई अवैधता न हो। ऐसा दृष्टिकोण अनुरेखक (ट्रेसर) के रूप में नियुक्ति के लिए छूट के तर्क के विरुद्ध होगा।

एकमात्र अन्य प्रश्न जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वह प्रत्यर्थियों का रुख है कि नियुक्ति विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि पर वास्तव में प्रभावी हो गई थी। यह दलील इस तथ्य के कारण समान रूप से अस्थिर है कि नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से ही प्रभावी होती है और परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन यह, यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि परीक्षा उत्तीर्ण होने तक कानून की नजर में कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। सरकार ने भी इस स्थिति को मान्यता दी, जैसा कि 14.10.1977 को वरिष्ठता सूची की घोषणा से स्पष्ट है, जिसमें अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया था, हालांकि उन्होंने उस समय तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी क्योंकि कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। कानून की नजर में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से होती थी, जो निश्चित रूप से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से जुड़ी थी।

आईटीआई के साथ किसी भी प्रशिक्षण से गुजरना बाद में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह दिखाने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि किसी भी समय अधिकारियों ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी है कि आईटीआई ने प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया था और इसलिए, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता के साथ आईटीआई प्रशिक्षण का प्रतिस्थापन अवैध है। यह तर्क असमर्थनीय है। इस याचिका को केवल उच्च न्यायालय के स्पष्ट शब्दों में दिए गए निष्कर्ष के कारण खारिज किया जाना चाहिए जो इस प्रकार है:

> "इसमें कोई विवाद नहीं है कि आईटीआई के संबंधित अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को तीन महीने का प्रशिक्षण प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करने पर, मुख्य अभियंता ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 19.2.1980 द्वारा उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करके विभागीय परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया (अनुलग्नक पी-3), जिसे याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना दिनांक 24.5.1980 और दिसंबर, 1980 के अनुसार अर्हता प्राप्त की।"

उपरोक्त स्थिति के सन्दर्भ में, अपीलकर्ता अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता सूची में रखे जाने के हकदार हैं, न कि उस तारीख से जिस दिन उन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अपीलें स्वीकार की जाती हैं लेकिन खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री जगदीश जाणी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।